



आवेदन की तिथि 28/12/18
 अधिसूचना की तिथि 29/12/18
 निर्गत तिथि 31/12/18

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

आवेदन दाखिल खारिज मु० संख्या.....(11) / 2015-16-17

(I) आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
6/1/19	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती दिनेश कुमार कुशवाहा पिता/पति भगदीब प्रसाद साकिम. देवत रो. पुराना थाना धनबाद जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा धनबाद मौजा नं० 51 खाता नं० 123 प्लॉट नं० 183 रकबा 33 बीघा दलील सं० दिनांक के द्वारा श्री/श्रीमती अंचल अधिकारी धनबाद से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 28/12/18 को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रैयती खाते की है। जमाबंदी सं० 427123 में विक्रेता के/विक्रेता के के नाम लगान से रसीद कट रहा है। आवेदक निर्बंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर-मुद्रांक की सशिक को कोषागार में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है। प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को..... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र गया।</p> <p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>
28/12/18	<p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>

मेरे द्वारा फोटा कोपी
 किया गया
 प्रतिलिपिक टक

मेने मिलान किया
 28/12/18
 सहायक

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
 प्रधान सहायक
 अंचल कार्यालय
 31/12/18



आवेदन की तिथि 28/12/18
 अधिसूचना की तिथि 29/12/18
 निर्गत तिथि 31/12/18

सं. 5-40
भरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण (दाखिल-खातिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र
 जिला- धनबाद, अनुमण्डल - धनबाद अंचल - धनबाद, हल्का सं.-(II) स्टेट का नाम- शारखण्ड

क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण के संख्या	गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और सभ्यता संयुक्त की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला अधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होगा है विक्री, दान विनिमय, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्माचारी द्वारा हल्का नवीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	अन्युक्ति
1									
2	शिविर दात खाना (II) 16-17								
3		धनबाद							
4									
5	खाता- 123 प्लॉट- 183 रकबा- 33.50 लगान- 12.00 रुकाना								
6	अंचल अधिकारी धनबाद								
7	विक्री/ उत्तराधिकारी बतौल संख्या - शिपच पत्र								
8	पुराना जमात:- 123 पुराना रैयत:- पंचरानी देवी नया रैयत:- हिनैश कुमार कुशवारा पिता- अजीय-पसाद सात- रमपल रोड								
9	जमा सं. में दर्ज किया								
10									

शापांक संख्या..... ता. 2016
 कर्माचारी हल्का सं. (II) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी धनबाद

भरे. द्वारा फोटा कोपी
 किया गया
 प्रतिलिपिक टंकक

मैंने मिलान किया
 सहायक

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
 प्रधान सहायक
 धनबाद